"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2013—चैत्र 22, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दुलारी मिश्रा पति श्री दिनेश कुमार मिश्रा, उम्र-57 वर्ष, निवासी- ब्लाक नं.-7/बी, सड़क नं.-7, सेक्टर-2, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र में वरिष्ठ आपरेटर के पद पर प्लेट मिल (आपरेशन) में कार्यरत हैं, जिनका पर्सनल नंबर-140411 है, यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दुलारी बाई मिश्रा था, मेरा विवाह श्री दिनेश कुमार मिश्रा पिता स्व. दुर्गा प्रसाद मिश्रा के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती दुलारी मिश्रा पति श्री दिनेश मिश्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती दुलारी मिश्रा पति श्री दिनेश कुमार मिश्रा के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. दुलारी बाई मिश्रा	श्रीमती दुलारी मिश्रा (DULARI MISHRA) पति-श्री दिनेश कुमार मिश्रा निवासी-ब्लाक नं. 7/बी. सड़क नं.-7, सेक्टर-2, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रिया पंजाबी पति श्री वीरभान पंजाबी, आयु-43 वर्ष, निवासी- म. नं.-362, वार्ड क्र.-24, गुरूनानक नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं कु. बबीता लालवानी पिता श्री घनश्याम दास लालवानी निवासी-रायपुर के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में यही नाम अंकित था, मेरा विवाह दिनांक 06-02-1992 को बीरभान पंजाबी आ. स्व बक्खूमल पंजाबी, निवासी-दुर्ग से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम "श्रीमती प्रिया पंजाबी पति बीरभान पंजाबी" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती प्रिया पंजाबी ध. प. श्री वीरभान पंजाबी के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. बबीता लालवानी पिता-श्री घनश्याम लालवानी निवासी-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती प्रिया पंजाबी ध. प.-श्री वीरभान पंजाबी निवासी-म. नं.-362, वार्ड क्र.-24 गुरूनानक नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुष्यंत कुमार पटेल पिता श्री राम सहाय पटेल, उम्र-43 वर्ष, जाति-मरार, निवासी- शंकर नगर, ग्रा. व पो.-डुण्डेरा, (नगर निगम भिलाई, वार्ड -65) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107 का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम दुद्वेराम पटेल दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम दुष्यंत कुमार पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रागक्ष शाश-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दुष्यंत कुमार पटेल पिता श्री राम सहाय पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
दुद्वेराम पटेल पिता-श्री राम सहाय पटेल निवासी-शंकर नगर ग्रा. व पो.-डुण्डेरा (नगर निगम भिलाई, वार्ड-65) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107	दुष्यंत कुमार पटेल पिता-श्री राम सहाय पटेल निवासी-शंकर नगर ग्रा. व पो.-डुण्डेरा (नगर निगम भिलाई, वार्ड-65) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार प्रसाद पिता श्री सकल देव प्रसाद, आयु-33 वर्ष, वर्तमान निवासी प्रतापगंज, सारंगढ़, तह. सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.) का हूं. मैं छ. ग. रा. वि. वित. कं. मर्या., सारंगढ़ में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कुमार दर्ज है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम रमेश कुमार प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे रमेश कुमार प्रसाद पिता श्री सकल देव प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
रमेश कुमार पिता-श्री सकल देव प्रसाद वर्तमान निवासी-प्रतापगंज, सारंगढ़ तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	रमेश कुमार प्रसाद पिता-श्री सकल देव प्रसाद वर्तमान निवासी-प्रतापगंज, सारंगढ़ तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता तिवारी पति श्री पवन कुमार तिवारी, निवासी- 201-ए, न्यू रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल हुडको, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) में टी. जी. टी. (इंग्लिश) के पद पर कार्यरत हूं. विवाह पूर्व मैं कु. ममता शुक्ला के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में दर्ज है. यह कि विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती ममता तिवारी पति श्री पवन कुमार तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती ममता तिवारी ध. प. श्री पवन कुमार तिवारी के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. ममता शुक्ला (MAMTA SHUKLA) निवासी-201-ए, न्यू रूआबांधा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती ममता तिवारी (Smt. MAMTA TIWARI) ध. प. -श्री पवन कुमार तिवारी निवासी-201-ए, न्यू रुआबांधा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/174/उपंरा/परि./2013.— वस्तुत: स्वदेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 193, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/939/उपंरा/परि./2012, राजनांदगांव दिनांक 18-09-2012 जारी किया कि आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के अनुसार वास्तव में कार्य करना बन्द कर दिया है तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 05-09-2012 के अनुसार संचालक मंडल का चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है जिसके परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वदेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 193 विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 196 0 की धारा 69(2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसामापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/175/उपंरा/परि./2013.— वस्तुत: आदर्श आदिवासी खदान सहकारी समिति मर्यादित, बरगा, पंजीयन क्रमांक 97, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/1005/उपंरा/परि./2012, राजनांदगांव दिनांक 10-10-2012 जारी किया कि आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के अनुसार वास्तव में कार्य करना बन्द कर दिया है तथा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 01-10-2012 के अनुसार संचालक मंडल का चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार हैं जिसके परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19 15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए आदर्श आदिवासी खदान सहकारी समिति मर्यादित बरगा, पंजीयन क्रमांक 97 विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसामापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/176/उपंरा/परि./2013.— वस्तुत: प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित, खड़गांव, पंजीयन क्रमांक 273, विकासखण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/280/उपंरा/परि./2012, राजनांदगांव दिनांक 17-06-2010 जारी किया कि आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के अनुसार वास्तव में कार्य करना बन्द कर दिया है तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, मानपुर के प्रतिवेदन दिनांक 05-02-2013 के अनुसार संचालक मंडल का चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार हैं जिसके परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित खड़गांव पंजीयन क्रमांक 273 विकासखण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, मानपुर, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्रमांक/215/उपंरा/विधि/परिसमापन/2013.— वस्तुत: सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, छुईखदान, पंजीयन क्रमांक 474, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) के अंतर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/958/उपंरा/परि./2012 राजनांदगांव दिनांक 25-09-2012 जारी करते हुए सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, छुईखदान, पंजीयन क्रमांक 474 विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को यह निदेश दिया गया कि वह कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें किन्तु कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25-09-2012 की तामिली दिनांक 20-10-2012 को होने के बावजूद भी जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25-09-2012 का उक्त संस्था द्वारा कोई जवाब/स्पष्टीकरण समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुन: न्याय हित में उक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/1273/उपंरा/परि./2012 राजनांदगांव दिनांक 31-12-2012 जारी करते हुए यह निदेश दिया गया कि वह कारण बताओ सूचना पत्र में अंकित कंडिकाओं का जवाब/स्पष्टीकरण दिनांक 31-01-2013 तक प्रस्तुत करें तथा समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 31-01-2013 को उपस्थित हों किन्तु कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 की तामीली दिनांक 23-01-2013 को होने के बावजूद कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 का जवाब/स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 31-01-2013 को उक्त संस्था के अध्यक्ष श्री बांकेलाल वर्मा एवं संचालक श्री मुकेश ताम्रकार उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण हेतु समय दिया गया तथा प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 04-02-2013 मुकर्रर की गई किन्तु सुनवाई हेतु मुकर्रर तिथि दिनांक 04-02-2013 को उक्त संस्था के अध्यक्ष श्री बांकेलाल वर्मा द्वारा न ही कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 का कोई जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही श्री वर्मा दिनांक 04-02-2013 को समक्ष में उपस्थित हुए, से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 में अंकित यह तथ्य कि यदि आपके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 का उत्तर/प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं होता है तथा समक्ष में सुनवाई तिथि नियत दिनांक 31-01-2013 को आप मेरे समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह माना जावेगा कि प्रकरण में आपको कुछ नहीं कहना है एवं प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त तथ्य आपको स्वीकार हैं और प्रकरण में विधि सम्मत आदेश पारित कर दिया जावेगा. उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 को कोई जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने का प्रमुख कारण उक्त संस्था का निरंतर अकार्यशील एवं निष्क्रिय बने रहना है और उसे कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 के समस्त तथ्य स्वीकार्य हैं.

2. वस्तुत: कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/1273/उपंरा/परि./2012 राजनांदगांव दिनांक 31-12-2012 से यह स्पष्ट रूप से सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित छुईखदान पंजीयन क्रमांक 474, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को संसूचित किया गया कि आपकी संस्था पंजीयन दिनांक 27-9-2007 तथा संचालक मंडल के निर्वाचन दिनांक 25-02-2008 से निरंतर निष्क्रिय एवं अकार्यशील बनी हुई है और आपकी संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है ? और पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तों के पालन में आपकी संस्था अक्षम रही है जिसके परिणामस्वरूप आपकी संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई कारण विद्यमान नहीं है ? आपकी संस्था में केवल सदस्यों की संख्या दिनांक 31-03-2012 की स्थिति पर 255 है जिससे पंजीयन की शर्त क्रमांक 01 का पालन होता है किन्तु पंजीयन की शर्त क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का कार्य व्यवसाय

दिनांक 31-3-2012 तक रुपये 10.00 लाख तक करना था, पालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है तथा संस्था का व्यवसाय दिनांक 31-3-2012 की स्थिति में शून्य रहा है तथा संस्था के बैंक खाता क्रमांक 93, पृष्ठ क्रमांक 401 का अंतिम बैलेंस दिनांक 27-7-2012 पर रुपए 21,059.00 रहा है और संस्था के बैंक खाते का वित्तीय वर्ष 2011-12 में कोई व्यापारिक/व्यावसायिक संव्यवहार नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह तथ्य संज्ञान में लिया जाता है कि उक्त संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कोई व्यवसाय नहीं किया गया है, संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31-12-2012 का कोई जवाब/स्पष्टीकरण यद्यपि प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि उक्त संस्था के वित्तीय वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया. आडिट रिपोर्ट के अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में लिया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार उक्त संस्था को वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक निरंतर "डी" वर्ग में रही है, से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था निरंतर निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त संस्था को कार्यशील बनाने के उद्देश्य से कूटरचित एवं मिथ्या वित्तीय पत्रक अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया किन्तु व्यवसाय हेतु तथाकथित ली गई आमनतें राशि रुपए 8,50,000.00 का संव्यवहार संस्था के बैंक खाते से नहीं किया गया है, के कारण अंकेक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में बताये गये संपूर्ण व्यवसाय को संदेहास्पद पाया गया है तथा संस्था को "डी" वर्ग में रखने की अनुशंसा की गई है, से भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में, उक्त संस्था निरंतर निष्क्रिय एंव अकार्यशील है तथा पंजीयन शर्तों के अधीन केवल शर्त क्रमांक 01 के अंतर्गत केवल सदस्यों की संख्या 255 की गई किन्तु पंजीयन के अन्य शर्तों का पालन उक्त संस्था द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया है तथा उक्त संस्था पंजीयन तिथि से निरंतर अकार्यशील एवं निष्क्रिय बनी हुई है जिसके कारण उसके अंशधारी सदस्यों को उक्त संस्था से कोई लाभ नहीं मिल रहा है. अतएव उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है, इसलिए उक्त संस्था को एवं उसके अंशधारी सदस्यों के व्यापक हित में परिसमापन में लाया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ए/क) के विहित प्रावधानों के अधीन सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, छुईखदान, पंजीयन क्रमांक 474, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक एक माह के अंदर नियमानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 20 मार्च 2013

क्रमांक/308/उपंरा/परि./2013.— वस्तुत: गोकुल दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित दिगवाड़ी, पंजीयन क्रमांक 457, विकासखण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1020/उपंरा/निर्वा./2012 राजनांदगांव, दिनांक 15-10-2012 से श्री दिनेश कुमार बंधे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मानपुर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. के परिपालन में दिनांक 15-03-2013 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि संस्था अध्यक्ष श्री शिवप्रकाश शर्मा द्वारा लिखित में सहमति दी गयी है कि संस्था का निर्वाचन कराया जाना असंभव है अत: संस्था का पंजीयन समाप्त किया जावे अतएव संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय एवं आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए गोकुल दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित दिगवाड़ी, पंजीयन क्रमांक 457, विकासखण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 20-03-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंद्./परिसमापन/2013/113.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1705, दिनांक 29-09-04 के द्वारा दुर्ग जिला महिला गृह उद्योग निर्माण एवं वितरण सहकारी समिति मर्यादित, दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2342 का परिसमापक श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरीक्षक दुर्ग, का सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. एस. तराने, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को दुर्ग जिला महिला गृह उद्योग निर्माण एवं वितरण सहकारी समिति मर्यादित, दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 3242 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंद्./परिसमापन/2013/114.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/435, दिनांक 25-04-06 के द्वारा बी. के. सहकारी साख समिति मर्यादित, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2286 का परिसमापक श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग, का पदोन्नति हो जाने के कारण वह कांकेर में पदस्थ हो गये है उनके स्थान पर श्री आर. एस. तराने, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को बी. के. सहकारी साख समिति मर्यादित, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2286 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परी./2013/165.— कर्मचारी प्राथमिक सहकारी साख समिति मर्या., धमधा, पंजीयन क्रमांक 2729 संस्था का परिसमापक श्रीमती शोभा गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 6-2-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कमल नारायण कान्डे,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.